



2026:AHC:176339

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या - 6781 वर्ष 2026

मो. शाहवेज़ उर्फ़ शानू

.....आवेदनकर्ता(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदनकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अभिषेक कुमार शुक्ला

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 50

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के अधिवक्ता श्री अभिषेक कुमार शुक्ला और राज्य की ओर से एजीए श्री यज्ञवल्क पांडे की बातें सुनीं और अभिलेख पर मौजूद सभी दस्तावेजों को देखा।

यह आवेदक द्वारा दायर दूसरा ज़मानत प्रार्थना-पत्र है। मौजूदा आवेदक द्वारा दायर पहला ज़मानत प्रार्थना-पत्र को इस न्यायालय ने आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत प्रार्थना-पत्र संख्या 31912/2025 में 27.11.2025 को पारित एक विस्तृत आदेश के ज़रिए खारिज कर दिया था; इस आदेश की एक प्रतिलिपि ज़मानत प्रार्थना-पत्र के साथ अनुलग्नक-1 के तौर पर अभिलेख पर रखी गई है।

आवेदक मो. शाहवेज़ उर्फ़ शानू ने यह दूसरा ज़मानत प्रार्थना-पत्र दायर किया है, जिसमें अवर न्यायालय में विचारण के दौरान आपराधिक वाद संख्या 70/2024 (पुलिस थाना साइबर अपराध, ज़िला गौतम बुद्ध नगर) में ज़मानत पर रिहा करने की मांग की गई है। यह मामला भादंसा की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



धाराओं 420, 467, 468, 471, 120ख, 201 और आईटी अधिनियम की धारा 66/66ग के तहत दर्ज है।

इस दूसरे ज़मानत प्रार्थना-पत्र के समर्थन में, आवेदक के अधिवक्ता ने पहले ज़मानत प्रार्थना-पत्र में दिए गए सभी तर्कों को दोहराया है, जिन्हें यहाँ दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है।

पहले दिए गए तर्कों के अलावा, आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि विचारण अभी चल रहा है और आवेदक के खिलाफ़ अब तक आरोप तय नहीं किए गए हैं; वाद की तारीखें सिर्फ़ सह-आरोपी हर्ष बंसल को समन भेजने के लिए तय की जा रही हैं। अपने तर्कों के समर्थन में, आवेदक के अधिवक्ता ने अनुपूरक शपथपत्र के ज़रिए आदेश पत्र अभिलेख पर रखा है।

आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी-आवेदक बेगुनाह है। उसे इस आपराधिक वाद संख्या में झूठा फँसाया गया है और वह 21.4.2025 से जेल में बंद है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और ज़मानत पर रिहा होने पर उसके न्याय की प्रक्रिया से भागने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि सह-आरोपी दानिश के बयान में आवेदक का नाम सामने आया है। आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि सह-आरोपी कुलदीप सिंह और शुभम बंसल को इस न्यायालय ने क्रमशः 27.8.2025 और 14.8.2025 को आपराधिक प्रकीर्ण बेल प्रार्थना-पत्र संख्या 24096 of 2025 और आपराधिक प्रकीर्ण बेल प्रार्थना-पत्र संख्या 25418 of 2025 में ज़मानत दे दी है। इसलिए, समानता के आधार पर ज़मानत की मांग की गई है।

विद्वान् एजीए ने ज़मानत की मांग का जोरदार विरोध करते हुए कहा कि आवेदक ने अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलकर नैनीताल बैंक के सर्वर को हैक करके 16 करोड़ रुपये से ज़्यादा की रकम का गबन किया है। विद्वान् एजीए का कहना है कि आवेदक सह-आरोपी उमेलाकेई एमेका उर्फ़ एलेक्स को 2% बट्टे के आधार पर धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल होने वाला खाता उपलब्ध कराता था और यह बात जांच के दौरान सह-आरोपी दानिश के बयान में साफ़ तौर पर सामने आई है। अगर आवेदक को ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो पूरी संभावना है कि चल रहे मुकदमे में आवेदक की मौजूदगी सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। जांच के दौरान तैयार किए गए और अभिलेख पर लाए गए दस्तावेज़ों से यह पूरी तरह साबित होता है कि आवेदक साइबर धोखाधड़ी के अपराध में शामिल अभिषद का सक्रिय सदस्य है। अभिलेख पर लाई गई विचारण



न्यायालय की कार्यवाही से पता चलता है कि आवेदक के खिलाफ अभी आरोप तय किए जाने बाकी हैं। आवेदक की ज़मानत प्रार्थना-पत्र को शुरुआती स्तर पर ही खारिज किए जाने योग्य है।

मैंने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेख देखा है।

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने **सागर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 2025 लाइवला (एससी) 1155** मामले में, समानता के आधार पर सह-आरोपी को ज़मानत देने वाले आदेश को अपास्त करते हुए यह टिप्पणी की थी कि समानता ही एकमात्र आधार नहीं है जिस पर ज़मानत दी जा सकती है। समानता पर विचार करते समय आरोपी की स्थिति पर ध्यान देना ज़रूरी है; यह स्थिति सिर्फ़ उसी अपराध में शामिल होने से तय नहीं होती, बल्कि अपराध में उनकी भूमिका से तय होती है। न्यायालय को आरोपों की प्रकृति, सज़ा की गंभीरता, आपराधिक इतिहास और प्रथम दृष्टया मामले जैसे कारकों पर विचार करते हुए संतुलन बनाना चाहिए और समझदारी से अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

यह न्यायालय पाती है कि भारत में प्रौद्योगिकी के तेज़ी से विकास और डिजिटल अवसंरचना के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल से साइबर-अपराध में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिसमें फ़िशिंग धोखाधड़ी, रैंसमवेयर हमले, साइबर-स्टॉकिंग और डेटा ब्रीच शामिल हैं। डिजिटल इंडिया जैसी पहलों ने देश के डिजिटल बदलाव को तो तेज़ किया है, लेकिन साथ ही ऐसी कमज़ोरियाँ भी सामने आई हैं जिनका फ़ायदा साइबर-अपराधी उठाते हैं।

साइबर-अपराध देश भर के लोगों को प्रभावित कर रहा है, चाहे उनका धर्म, क्षेत्र, शिक्षा या वर्ग कुछ भी हो। अख़बार, मैगज़ीन, यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया साइबर-अपराध के अनगिनत बेगुनाह पीड़ितों की आपबीती से भरे पड़े हैं, जिन्हें उनकी मेहनत की कमाई से ठगा गया है। हमारे समाज में ऐसे साइबर-अपराध बड़े पैमाने पर हो रहे हैं और इन्हें रोकना ज़रूरी है। हमारे देश में साइबर-अपराध एक मौन वायरस की तरह है- जो चुपके से नुकसान पहुँचाता है, और समाज को सिर्फ़ पैसे का ही नहीं, बल्कि भरोसे, सुरक्षा और तरक्की का भी नुकसान पहुँचाता है।

इस दूसरे ज़मानत प्रार्थना-पत्र में पेश किए गए बयानों और दस्तावेज़ों को देखने के बाद, आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने का कोई नया आधार नहीं बनता है। आवेदक द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के सरकारी बैंक के साथ किया गया धोखाधड़ी का काम बहुत गंभीर है; ऐसे अपराध को बढ़ावा देना समाज के लिए एक बुरा उदाहरण होगा। साथ ही, अगर आवेदक को

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जमानत पर रिहा किया जाता है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि वह अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है।

इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, जमानत का कोई मामला नहीं बनता है। प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है।

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

अगस्त 19, 2026

रवि प्रकाश

Translated Version. Not for Legal Use.